

साधारण बैठक के कार्यवृत्त छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट कम पल्लावरम के विभिन्न बोर्ड की बैठक 29.11.2023 को 1300 बजे छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट के कार्यालय में आयोजित की गई |

### उपस्थित सदस्य

1. ब्रिग. जी. एस. पंढेर, एसएम, अध्यक्ष
2. श्री. सी. दिनेश कुमार रेड्डी, सदस्य सचिव
3. श्री. पी. ए. गुना, मनोनीत सदस्य

### 1. नोटिंग

(ए) कैंटोनमेंट बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट कम पल्लावरम के संबंध में पुराने उपनियमों को निरस्त करने के संबंध में दिनांक 14.11.2023 को प्रसारित एजेंडा संकल्प को नोट करने के लिए।

**संकल्प संख्या 1(ए):** नोट किया गया और अनुमोदित किया गया।

(बी) सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में बोरवेल की खुदाई और उपयोग के लिए नियमों के संबंध में दिनांक 14.11.2023 को परिसंचरण द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करने के लिए।

**संकल्प संख्या 1(बी)** नोट किया गया और अनुमोदित किया गया।

### 2. व्यावसायिक विनियमों में संशोधन

संदर्भ: 1.सी बीआर संख्या22, दिनांक 31.10.2023

2. पी डी डी ई पत्र संख्या 2023/व्यावसायिक विनियम/जी ई एन/डी ई दिनांक 21 नवंबर'2023

यह प्रस्तुत किया गया है कि इस छावनी बोर्ड ने निदेशालय के पत्र संख्या 2023/व्यावसायिक विनियम/जेन/डीई दिनांक 30.10.2023 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यावसायिक नियम तैयार किए हैं। इसे बोर्ड के समक्ष रखा गया है, जिसने सीबीआर संख्या 22 दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से इसे मंजूरी दे दी है और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव शुरू करने की सिफारिश की है।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि व्यावसायिक नियमों में संशोधन का प्रस्ताव एलआर.नम एस टी एम/ए डी एम/2844 दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से पी डी, डी ई, एस सी पुणे को भेज दिया गया है। इस बीच, व्यापार नियमों की तैयारी के लिए संदर्भ (ii) में उद्धृत पत्र के माध्यम से पीडीडीई, एससी द्वारा संशोधित निर्देश अग्रेषित किए गए हैं। तदनुसार, इस कार्यालय ने संशोधित निर्देशों के अनुसार व्यावसायिक नियमों का मसौदा तैयार किया है और बोर्ड की मंजूरी के लिए रखा है।

संबंधित फ़ाइल मेज पर रखी गई है।

बोर्ड मंजूरी दे सकता है।

**संकल्प संख्या 2:** विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव शुरू करने के लिए सी.ई.ओ सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए

### **3.इंटर-ऑफिस क्रिकेट टूर्नामेंट-2024 के छठे सीजन के लिए चेन्नई में योग्यता मिलान का आयोजन**

संदर्भ:1.पी डी डी ई पत्र संख्या 20996/डीईसीपीएल/ए डी एम/डी ई/वॉल्यूम-I दिनांक 14.09.2023

2. पी डी डी ई पत्र संख्या 20996/डी ई सी पी एल/ए डी एम/डी ई/वॉल्यूम-II दिनांक 09.10.2023 एवं 12.10.2023

यह प्रस्तुत किया गया है कि दक्षिणी कमान में फील्ड कार्यालयों के बीच अंतर-कार्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट -2024 का छठा सीज़न खेल के प्रति कर्मचारियों की रुचि को बढ़ावा देने और उन्हें मानसिक रूप से फिट और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आयोजित किया जाता है।

सभी छावनी बोर्डों से अंतर-कार्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने की इच्छा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि दक्षिणी कमान के तहत सभी छावनी बोर्डों को जनवरी-फरवरी 2024 में आयोजित होने वाले अंतर-कार्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट के छठे सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 12.10.2023 के पत्र के माध्यम से दिनांक एससी पुणे ने जनवरी-फरवरी 2024 में होने वाले आगामी टूर्नामेंट के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड सेंट थॉमस माउंट कम पल्लावरम की टीम को डीईओ चेन्नई के साथ विलय करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।

उसी पर कैंटोनमेंट बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट को 6 और 7 जनवरी 2024 को होने वाले क्वालीफाइंग मैचों की मेजबानी के लिए चुना गया है। इस संबंध में इस टूर्नामेंट पर होने वाला कुल खर्च सभी भाग लेने वाले छावनी बोर्डों द्वारा निर्धारित शुल्क पर समान रूप से साझा किया जाएगा।

रुपये का बजटीय प्रावधान. चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोड हेड 510-2999 के तहत कमांड स्तर पर स्पोर्ट्स मीट के लिए 20,00,000/- रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि कैंटोनमेंट बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट कम पल्लावरम (डीईओ चेन्नई के साथ विलय) की टीम को जनवरी-फरवरी 2024 और सीईओ में आयोजित होने वाले अंतर-कार्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट के 6 वें सीज़न में भाग लेने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में व्यय वहन करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम को केमप्लास्ट क्रिकेट ग्राउंड, आईटी, चेन्नई में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

बोर्ड विचार कर अनुमोदन कर सकता है

**संकल्प क्रमांक 3:** विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। सी ई ओ इस संबंध में व्यय वहन करने के लिए अधिकृत है।

4.कैंटोनमेंट बोर्ड जनरल हॉस्पिटल, सेंट थॉमस माउंट में हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति

संदर्भ: सहायक चिकित्सा अधिकारी, छावनी बोर्ड अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट से दिनांक 14 अगस्त 2023 को प्राप्त अनुरोध पत्र

कैंटोनमेंट बोर्ड सेंट थॉमस माउंट कम पल्लावरम को सीएसआर फंड के माध्यम से मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से एक्सेसरी इको जांच प्राप्त हुई है। उपकरण का उपयोग कार्डियोग्राफिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि उपकरण को संचालित करने, कार्डियोग्राफिक मूल्यांकन करने और छावनी बोर्ड अस्पताल में आने वाली आम जनता और प्रसवपूर्व माताओं के लिए परामर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ को नियुक्त करना आवश्यक है।

डॉ. पी.वी. कार्तिक, एमडी (कार्डियोलॉजी) को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। जो पहले एक स्थायी कर्मचारी के रूप में छावनी बोर्ड अस्पताल में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एमडी (कार्डियोलॉजी) करने के लिए इस्तीफा दे दिया और अब स्टेनली सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ हर शुक्रवार को दो घंटे के लिए अस्पताल आएंगे। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और इकोकार्डियोग्राफी की नैदानिक व्याख्या के लिए भुगतान किए जाने वाले मानदेय का विवरण नीचे दिया गया है:

सेवा का नाम	दर बोर्ड द्वारा तय की जायेगी	हृदय रोग विशेषज्ञ को भुगतान करने का प्रस्ताव है	सीबी को राजस्व प्रत्येक मामले के लिए
नैदानिक व्याख्या के साथ इकोकार्डियोग्राफी	रु.1080/- (सीजी एचएस के बराबर)	रु.500/- (बिना परामर्श के)	रु.580/-
		रु.700/- (परामर्श के साथ)	रु 380/-

इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं।

बोर्ड इस पर विचार कर अनुमोदन कर सकता है।

**संकल्प संख्या 4:** विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

5. छावनी बोर्ड कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और ई-सेवा मैयम में डेटा एंट्री ऑपरेटरों (22) की भर्ती

01.01.2024 से 12 महीने की अवधि के लिए छावनी बोर्ड कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और ई-सेवामैय्याम में डेटा एंट्री ऑपरेटरों (22) की भर्ती के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस में प्रकाशित बोली पर विचार करना और अनुमोदन 3

करना, जिसे जेम बिड नंबर.g e m/2023/b/4080715 दिनांक 12.10.2023.के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। विषयगत बोली में कुल 175 बोलीदाताओं ने भाग लिया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 06 बोलीदाताओं ने वित्तीय बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त की है और अन्य निविदा शर्तों का पालन न करने के कारण योग्य नहीं हैं।

जीईएम बोली संख्या जीईएम/2023/बी/4080715 दिनांक 12.10.2023 के लिए वित्तीय बोली 24.11.2023 को खोली गई थी। निम्नलिखित बोली लगाने वाले को ऑटो चयन विकल्प के माध्यम से जीईएम पोर्टल द्वारा चुना गया था, क्योंकि सबसे कम बोली लगाने वाले संख्या में एकाधिक हैं।

क्रम संख्या	बोली लगाने वाले का नाम	जगह	कुल पद	उद्धृत कुल दर	टिप्पणी
1.	मैसर्स इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई	22	रु.88,99,066.18/-	L1

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को ठेका देने का प्रस्ताव है, जिसे सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से विषय बोली के लिए एल1 बोलीदाता के रूप में चुना गया था।

इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं।

बोर्ड इस पर विचार कर अनुमोदन कर सकता है।

**संकल्प संख्या 5:** मैसर्स इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई ने उद्धृत रु.88,99,066,18/- की न्यूनतम बोली पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। 01.01.2024 से 12 महीने की अवधि के लिए छावनी बोर्ड कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और ई-सेवामैय्याम में डेटा एंट्री ऑपरेटरों (22) की भर्ती के लिए आवेदन किया है।

**6. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम में सार्वजनिक निर्माण विभाग में जल आपूर्ति रखरखाव कार्यों, विद्युत सहायक कार्यों और अन्य संबंधित कार्यों के लिए 25 संख्या में अकुशल जनशक्ति की नियुक्ति।**

संदर्भ:(1)छावनी बोर्ड जी ई एम नोटिस संख्या एस टी एम/कार्य/जी ई एम/2758 दिनांक 20.10.2023

(ii) जी ई एम बोली संख्या जीईएम/2023/बी/4106177 दिनांक 26.10.2023

मौजूदा जनशक्ति एजेंसी यानी मैसर्स पूर्व सैनिक सुरक्षा सेवाएं, चेन्नई की 01.12.2022 से 30.11.2023 तक विषय कार्य के लिए 11 महीने की अनुबंध अवधि समाप्त होने जा रही है। इस संबंध में, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम अनुबंध पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में जल आपूर्ति कार्यों, विद्युत सहायक कार्यों और अन्य संबंधित कार्यों के रखरखाव के लिए 25 संख्या में अकुशल जनशक्ति की भर्ती के लिए जीईएम बोली "सरकारी ई-मार्केट प्लेस" में 4

"जीईएम बोली संख्या जीईएम/2023/बी/4106177 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से। बोली के जवाब में, कुल 62 बोलीदाताओं ने विषय बोली में भाग लिया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 02 बोलीदाताओं, जिन्होंने बोली शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं, वित्तीय बोली के लिए योग्य हैं।

वित्तीय बोली 27.11.2023 को 1130 बजे खोली गई। बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें नीचे सूचीबद्ध थीं:-

क्रम संख्या	फर्म का नाम	जगह	उद्धृत कुल मूल्य (12 महीने की अवधि के लिए)	श्रेणी	टिप्पणी
1.	मैसर्स रिलायन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	चेन्नई	रु. 8297253.90	L1	सिस्टम चयनित
	मैसर्स भारतीय सुरक्षा सेवाएँ	चेन्नई	रु.8297253.90	L1	

उपरोक्त के मद्देनजर, मैसर्स रिलायन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, जिसने सबसे कम बोली रु.82,97,253.90/- और विषय बोली के लिए 01.12.2023 से 12 महीने की अवधि के लिए 25 संख्या में अकुशल जनशक्ति के प्रावधान के लिए एल1 बोलीदाता के रूप में जेम पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से चुना गया था, मंजूरी दी जा सकती है।

संबंधित फ़ाइल मेज पर रखी गई है।

बोर्ड विचार कर अनुमोदन कर सकता है।

**संकल्प क्रमांक 6:** मैसर्स रिलायन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई की न्यूनतम बोली पर विचार किया गया और उसे मंजूरी दी गई, जिसने सबसे कम दर रु. 82,97,253.90/-01.12.2023 से 12 महीने की अवधि के लिए कुल 25 अकुशल जनशक्ति की आपूर्ति के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी में जल आपूर्ति रखरखाव कार्यों, विद्युत सहायक कार्यों और अन्य संबंधित कार्यों के लिए |

**7. भारत के माननीय राष्ट्रपति की चेन्नई यात्रा और चक्रवात के कारण ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया।**

संदर्भ: मैसर्स मीनल एंड कंपनी, लाइसेंसधारी, ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह से प्राप्त अनुरोध पत्र दिनांक 31.10.2023 और 06.11.2023

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति, 27.10.2023 को और 03.11.2023 को चक्रवात के दौरे के कारण ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए लाइसेंस शुल्क पर विचार करने और माफ करने के लिए।

यह कहा गया है कि, इस कार्यालय ने मैसर्स मीनल एंड कंपनी को सम्मानित किया था। पुराने ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए अस्थायी लाइसेंस, परिपत्र एजेंडा संख्या 01 दिनांक 30.03.2023 के माध्यम से।

जबकि, मै. मीनल एंड कंपनी, लाइसेंसधारी, ने क्रमशः भारत के माननीय राष्ट्रपति की चेन्नई यात्रा और चक्रवात के कारण संदर्भ के तहत उद्धृत अनुरोध पत्रों के माध्यम से 27.10.2023 और 03.11.2023 को आयोजित साप्ताहिक बाजार के लिए लाइसेंस शुल्क राशि माफ करने का अनुरोध किया था।

जबकि, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 27.10.2023 को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई में 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया था। इस संबंध में, भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती.द्रौपदी मुर्मू ने 26.10.2023 की शाम 19 बजे चेन्नई का दौरा किया। और 27.10.2023 को 12.30 बजे वापस आये। सुरक्षा कारणों से, तमिलनाडु राज्य पुलिस विभाग ने इस कार्यालय से संपर्क किया है और 26 अक्टूबर 2023 को 18 बजे से 20 बजे तक और 27 अक्टूबर 2023 को 7 बजे से 13.30 बजे तक से पुराने ट्रंक रोड में साप्ताहिक शुक्रवार बाजार के अंदर वाहन और दुकानों को अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा, भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार (3-4) को चेन्नई में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश (115.5 मिमी -204 मिमी) की घोषणा की थी, जो कि बंगाल की खाड़ी से बहने वाली और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में परिवर्तित होने वाली पूर्वी उत्तर-पूर्वी हवाओं के मजबूत होने के कारण थी। (दक्षिण भारत में सामान्य मानसून का मौसम अक्टूबर के अंत से दिसंबर तक होता है)। 03.11.2023 को 8.30 बजे से 17.30 बजे के बीच 6.3 सेमी वर्षा दर्ज की गई।

इस संबंध में, इस कार्यालय ने उपर्युक्त दिनों में शुक्रवार बाजार स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि 27.10.2023 को केवल लगभग 50% दुकानें ही थीं और इसके अलावा, 03.11.2023 को कोई दुकानें नहीं थीं।

इसलिए, बोर्ड पुराने ट्रंक रोड, पल्लावरम में अनुबंध का खंड (8) साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए 27.10.2023 को आयोजित साप्ताहिक बाजार के लिए लाइसेंस शुल्क को 50% और 03.11.2023 को 100% तक माफ करने का निर्णय ले सकता है।

संबंधित फ़ाइल मेज पर रखी गई है।

बोर्ड विचार कर अनुमोदन कर सकता है।

**संकल्प संख्या 7:** 27.10.2023 को आयोजित साप्ताहिक बाजार के लिए लाइसेंस शुल्क को 50% और 03.11.2023 को ओल्ड ट्रंक रोड, पल्लावरम में साप्ताहिक बाजार के रखरखाव और संग्रह के लिए 100% माफ करने पर विचार किया गया और मंजूरी दे दी गई।

श्रीमती एल. कलईसेल्वी, क्रमांक 51/13अलायाअम्मनकोइल स्ट्रीट, तेन्नमपेट, चेन्नई-600 018, से प्राप्त भवन योजना आवेदन क्रमांक बी पी ए-ए पी पी-एस टी एम-2023-11-23002991 दिनांक 23.11.2023 पर विचार करने के लिए। दरवाजा क्रमांक 3/41-डी, पोन्नियम्मन कोइल गली, सी पल्लवरम चेन्नई-600043 में भूतल में आवासीय भवन और प्रथम तल में आवासीय भवन के प्रस्तावित निर्माण के लिए अनुमति का अनुरोध |

जी एल आर एस संख्या 388/16, आर एस संख्या 848 भाग वाली विषय भूमि को बी2 भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सी पर अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित है। पल्लवरम (वार्ड क्रमांक 7)। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के अनुसार, बोर्ड अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि के लिए भवन योजना को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए इसे मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने रिपोर्ट दी है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। एई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजना भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है।

संबंधित फ़ाइल मेज पर रखी गई है।

बोर्ड विचार कर अनुमोदन कर सकता है।

**संकल्प संख्या 8:** विचार करें और अनुमोदित करें कि बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को मंजूरी देने का संकल्प लिया है, अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए छावनी बोर्ड की धाराओं और उपनियमों के तहत शर्तों के अनुरूप और अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

**9. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम के 2805 वर्ग फुट के जीएलआरएस संख्या 256/132-ए में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे का विस्तार।**

जीएलआरएस संख्या 256/132ए में 2805 वर्ग फुट की रक्षा भूमि, जिसे बी-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सेंट थॉमस माउंट कम पल्लवरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखी गई है, को अनुसूची में पट्टे पर दिया गया था। 18.05.1929 से पट्टेदार के विकल्प पर 90 वर्ष तक की अवधि के लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए सीएलएआर 1925 का VI, आवास उद्देश्य के लिए रुपये तीन और आठ पैसे के वार्षिक किराए पर नवीकरणीय।

दूसरे कार्यकाल के लिए पट्टा 17.05.1959 को समाप्त हो गया और 30 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए पट्टे को 18.05.1959 से नवीनीकृत किया गया था, जो कि वर्ष 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के तहत था और उप-पंजीयक कार्यालय, सैदापेट में पंजीकृत था। 1963 के दस्तावेज़ क्रमांक 1301 के रूप में 24.01.1963 को वार्षिक किराया रु. 5.25. 30 साल की तीसरी और आखिरी अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) 17.05.2019 को समाप्त हो गई थी।

भारत सरकार की अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 10.03.2017 और 11013/2/2016 डी (भूमि) दिनांक 10.03.2017 और 11013/2 द्वारा जारी किया गया। /2016/डी(भूमि) दिनांक 31.12.2018, छावनी बोर्ड ने श्री एस ए तिरुमणि नादर को पत्र संख्या एस टी एम / ए डी एम / लीज / 0602 दिनांक 21.03.2019 और एस टी एम / ए डी एम / लीज / 32/0827 दिनांक 07.05.2019, के माध्यम से पत्र और मांग नोटिस जारी किया। उनसे जीएलआरएस नंबर 256/132-ए में लीज के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया गया, जिसकी माप 2805 वर्ग है। 18.05.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के लिए शुल्क और उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर प्रचलित एसटीआर के अनुसार किराये का भुगतान करना।

जवाब में, श्री एस ए तिरुमणि नादर ने दिनांक 22.03.2019 के पत्र के माध्यम से प्रचलित एसटीआर के अनुसार किराये के भुगतान के लिए पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और 1,34,743/- रुपये (एक लाख तीस हजार सात सौ रुपये) का भुगतान किया। (केवल तैंतालीस) 18.05.2019 से 31.12.2019 की अवधि के लिए भूमि किराए के संबंध में 18.05.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के लिए भूमि किराए के संबंध में 2805 वर्ग फीट भूमि जी एल आर एस संख्या 256 में /132-ए छावनी बोर्ड 4बी रसीद संख्या 44515 दिनांक 05.08.2019 द्वारा।

चूंकि, पट्टेदार, श्री एस ए तिरुमणि नादर ने अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे की पूर्ण अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित एसटीआर के अनुसार पट्टा किराए की बकाया राशि का भुगतान किया, पट्टे का विस्तार जीएलआरएस संख्या 256 में /132-ए, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2805 वर्ग फुट को आवासीय उद्देश्य के लिए सीबीआर संख्या 2 दिनांक 22.08.2019 और सीएआर की अनुसूची IV में संशोधित पट्टा समझौते के तहत 18.05.2019 से 31.12.2019 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। 1937, डीजी, डीई पत्र क्रमांक 18/48/एल/डी ई/57 दिनांक 23.03.2017 द्वारा प्राप्त किया गया और उप-रजिस्टर कार्यालय एसएआईडीएपेट में दस्तावेज संख्या 2384 दिनांक 04.10.2019 के रूप में पंजीकृत किया गया।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, पत्र क्रमांक 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 15.02.2021 द्वारा जारी, छावनी बोर्ड ने श्री एस.ए तिरुमणि नादर को पत्र के माध्यम से पत्र और मांग नोटिस जारी किया संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/0819 दिनांक 29.04.2021 ने उनसे जीआरएस संख्या 256/132-ए में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया, जिसकी माप 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए 2805 वर्ग फुट है। पट्टेदार श्री एस ए तिरुमनिनाडार अपने पत्र दिनांक 14.06.2021 के माध्यम से 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए 2805 वर्ग फुट के जीएलआरएस संख्या 256/132-ए में प्रचलित धारा और सरकार के नियम और शर्तें पट्टे के विस्तार और भूमि पट्टा किराए का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की।

8

बाद में, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/32/1240, दिनांक 30.06.2021, एस टी एम/ए डी एम/लीज/32/1396 दिनांक 23.07.2021 और एस टी एम/ए डी एम/लीज/32 के माध्यम से पट्टेदार को मांग नोटिस

जारी किया। /2013 दिनांक 11.10.2021 ने उनसे 2805 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए आवासीय दर के पट्टा किराए की बकाया राशि के रूप में 4,64,390/- रुपये की राशि भेजने के लिए कहा। जी एल आर एस संख्या 256/132-ए में। पट्टेदार ने सीबी रसीद संख्या 3636 दिनांक 22.10.2021 के माध्यम से 4,64,390/- रुपये की पूरी राशि का भुगतान किया।

चूंकि पट्टेदार, श्री.एस.ए.तिरुमणि नाडर ने प्रचलित नियम के अनुसार पट्टे की बकाया राशि का भुगतान किया था, इसलिए जीएलआरएस संख्या 256/132ए में सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2805 वर्ग फुट के पट्टे के विस्तार को 01.01.2020 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी गई थी। सीआर संख्या 15 दिनांक 30.10.2021 द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए 31.12.2021 तक और डीजीडी पत्र संख्या 18/48/एल/डी/57 दिनांक 23.03.2017 द्वारा प्राप्त सीएआर 1937 की अनुसूची IV में संशोधित पट्टा समझौते को निष्पादित और उपरजिस्ट्रार कार्यालय, सईदापेट दस्तावेज संख्या 187 दिनांक 21.01.2022 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

बाद में, कैंटोनमेंट बोर्ड ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/32/2275 दिनांक 17.11.2021 के माध्यम से पट्टेदार को डिमांड नोटिस जारी किया। एस टी एम/ए डी एम/लीज/32/2275 दिनांक 17.11.2021 ने उनसे 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के लिए आवासीय दर पर लीज किराए के शेष बकाया के लिए 1291/- रुपये की राशि भेजने के लिए कहा। पट्टेदार ने रुपये 1291/- की राशि का भुगतान कर दिया है। सीबी रसीद ई-चालान संख्या सीएच-सीबी-एसटीएम-2021-175428 दिनांक 22.11.2021 के माध्यम से।

भारत सरकार की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने पत्र क्रमांक द्वारा जारी किया। 11013/2/2016डी(भूमि) दिनांक 20.04.2022, छावनी बोर्ड ने श्री एस.ए.तिरुमणि नाडर को पत्र संख्या एस टी एम/वर्क्स/एडीएम/लीज/32/1695 दिनांक 15.06.2022 के माध्यम से पत्र जारी किया है, जिसमें उनसे अपनी इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया गया है। 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के लिए जीएल आरएस संख्या 256/132-ए में 2805 वर्ग फुट के पट्टे के विस्तार के लिए उनका पत्र दिनांक 22.06.2022। पट्टेदार, श्री, एस ए थिरुमणि नादर ने अपने पत्र दिनांक 22.06.2022 के माध्यम से जीआरएस संख्या 256/132-ए में 2805 वर्ग फुट के पट्टे को 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। भूमि पट्टा किराये का भुगतान मौजूदा नियम और सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार करें।

बाद में, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटी एम/एडीएम/लीज/32/1695 दिनांक 15.06.2022 के माध्यम से पट्टेदार को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे आवासीय लीज किराए की बकाया राशि के लिए 2,34,513/- रुपये की राशि भेजने के लिए कहा गया है। जी एल आर एस संख्या 256/132-ए में 2805 वर्ग फुट की भूमि के संबंध में 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के लिए दर। पट्टेदार ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। 2,34,513/- बैंक ऑफ बड़ौदा, द्वारा सेंट थॉमस माउंट चेक संख्या 000263 दिनांक 24.11.2022 पट्टेदार ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है।

चूंकि पट्टेदार, श्री एस.ए. थिरुमणि नादर ने प्रचलित ब्याज दर के अनुसार लीज किराए की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, इसलिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2805 वर्ग फुट के लीज इन जीएलआरएस

संख्या 256/132-ए के विस्तार को मंजूरी दी जानी है। आवासीय प्रयोजन के लिए दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि तथा दिनांक 20.04.2022 के पत्र क्रमांक 11013/2/2016 डी (भूमि) द्वारा प्राप्त सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौते को निष्पादित और उप रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पुस्तक के 2023 के दस्तावेज़ संख्या 781 में दिनांक 27.03.2023 में पंजीकृत किया गया था। पुस्तक 1 में 11 शीट 1 से 11 शामिल हैं।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि) दिनांक 29.12.2022 द्वारा जारी, छावनी बोर्ड ने श्री एस ए तिरुमणि नाडर को पत्र संख्या एस टी एम के माध्यम से पत्र जारी किया है। /कार्य/ए डी एम/पट्टा/32/2426 दिनांक 24.08.2023, उनसे 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए 2805 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआरएस संख्या 256/132-ए में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया। पट्टेदार, श्री एस.ए. तिरुमणि नाडर ने अपने पत्र दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से जीआरएस संख्या 256/132-ए में 2805 वर्ग फुट के पट्टे को 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए बढ़ाने और भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है। प्रचलित धारा और सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार भूमि पट्टा किराया।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पत्र संख्या एसटी एम/वर्क्स/1/2702 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से पट्टेदार को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे आवासीय दर पर लीज किराए की बकाया राशि के लिए 2,35,478/- रुपये की राशि भेजने के लिए कहा गया है। 2805 वर्गफीट जी एल आर एस संख्या 256/132-ए में भूमि के संबंध में दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि। पट्टेदार ने सीबी रसीद संख्या 3485 दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से पूरी राशि रु. 2,35,478/- का भुगतान कर दिया है।

चूंकि पट्टेदार, श्री एस.ए. तिरुमणि नाडर ने प्रचलित एसटीआर के अनुसार लीज किराए की बकाया राशि का भुगतान किया है, जीएलआरएस संख्या में लीज का विस्तार। 256/132-ए, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लारम छावनी के 2805 वर्ग फुट को आवासीय उद्देश्य के लिए 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाना है और सीएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता प्राप्त हुआ है। डीजीडीई, पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57, खंड-13 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से निष्पादित एवं पंजीकृत किया जाना है। संबंधित फ़ाइल और कार्यालय रिपोर्ट मेज पर रखी गई है।

**संकल्प संख्या 09:** विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। बोर्ड ने 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए श्री तिरुमणि नाडर के पक्ष में, आवासीय उद्देश्य के लिए 2805 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआरएस संख्या 256/132-ए में पट्टे के विस्तार के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करने का संकल्प लिया है। अंतरिम पॉलिसी के संदर्भ में भारत सरकार ने पत्र क्रमांक 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 29.12.2022 जारी किया। इसलिए, विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर अर्क उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा।

## 10. पूरी तरह से समाप्त हो चुके पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे का विस्तार। संख्या 86-बी, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी का 1152 वर्ग फुट माप

मंदिर के प्रयोजन के लिए 26.07.2020 से 31.12.2023 की अवधि के लिए सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 1152 वर्ग फुट के जीएलआरएस संख्या 86-बी के संबंध में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे के विस्तार पर विचार करने के लिए पट्टे की पूरी अवधि की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित एसटीआर दर पर पट्टा किराए का भुगतान। सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखी गई रक्षा भूमि, जीएलआरएस संख्या 86-बी, माप 1152 वर्ग फुट, बी-3 के रूप में वर्गीकृत, को अनुसूची VI में पट्टे पर दी गई थी। सीएलएआर, 1925 30 वर्षों की अवधि के लिए, 26.01.1930 से श्रीमान बी तम्बुस्वामी और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में 08.12.1930 को रु.0.4.0/- के वार्षिक किराए पर 1930 पुस्तक-1, पृष्ठ 03 शीट के दस्तावेज़ संख्या 1904 के रूप में पंजीकृत किया गया।के नाम पर मंदिर प्रयोजन के लिए पट्टेदार के विकल्प पर 90 वर्ष तक नवीकरणीय।

पहली अवधि के लिए लीज 25.07.1960 को समाप्त हो गई और 30 साल की दूसरी अवधि के लिए लीज का नवीनीकरण श्री के नाम पर फिर से किया गया। बी तम्बुस्वामी 26.07.1960 से प्रभावी, नवीनीकरण पट्टा समझौते के तहत, जो कि सीएलएआर, 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित किया गया और 1961 के दस्तावेज़ संख्या 484, पुस्तक-1, खंड 604, पृष्ठ 263 से 266 के रूप में उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में पंजीकृत किया गया। 09.03.1961 रु.0.37 के वार्षिक किराये पर।आगे, श्रीमान बी. तम्बुस्वामी की मृत्यु 13.05.1976 को हुई। इसलिए, विषय संपत्ति के लीज होल्ड अधिकारों को श्रीमान टी लोगनाथन, के नाम पर बदल दिया गया। सीबी ई संख्या 52 दिनांक 30.04.2015 के माध्यम से |

श्रीमान टी.लोगनाथन के नाम पर 30 वर्ष की तीसरी और अंतिम अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया गया था। प्रभाव 26.07.1990 से नवीनीकरण पट्टा समझौते के माध्यम से, जो कि सीएलएआर, 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित किया गया था और संयुक्त-द्वितीय उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, सैदापेट में 2015 के दस्तावेज़ संख्या 2356 के रूप में पंजीकृत किया गया था, पुस्तक-1 में 12.10.2015 को 6 पृष्ठ हैं। 1/- रुपये वार्षिक किराये पर।30 साल की तीसरी और आखिरी अवधि यानी कुल 90 साल की अवधि के लिए लीज 25.07.2020 को समाप्त हो गई है। हालाँकि, यह देखा गया कि, पट्टे पर दिए गए परिसर में, पट्टेदार ने भूतल में 102 वर्ग फुट की सीमा तक "शाम कढ़ाई रेडीमेड्स" के नाम पर पट्टे के परिसर के हिस्से को मंदिर के उद्देश्य से वाणिज्यिक उद्देश्य में परिवर्तित कर दिया है) और मई 2021 के महीने के दौरान भूतल में 117 वर्ग फुट की सीमा तक "उषा पॉन ब्रोकर" के नाम पर गिरवी की दुकान।

भारत सरकार के संदर्भ में, रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 20.04.2022 के माध्यम से नीति दिशानिर्देश जारी किए, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार, श्री.टी.लोगनाथन से 26.07.2020 से 31.12.2022 तक और सी बी एस टी एम पत्र संख्या एस टी एम/वर्क्स/1/0238 के माध्यम से प्रचलित एस टी आर दर पर लीज किराए की बकाया राशि रु.2,22,877/- का भुगतान करने के लिए, दिनांक 13.01.2023 की अवधि के लिए इच्छा व्यक्त

करने का अनुरोध किया। जवाब में, पट्टेदार ने प्रचलित एसटीआर दर पर 26.07.2020 से 31.12.2022 की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार के लिए पत्र दिनांक 18.01.2023 के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त की और रुपये 2,22,877/- सीबी रसीद क्रमांक 4326 का पट्टा किराया भी भुगतान किया। दिनांक 19.01.2023 द्वारा। इसके अलावा, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार, पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 29.12.2022 के माध्यम से जारी, छावनी बोर्ड ने श्री टी लोगनाथन को पत्र के माध्यम से पत्र जारी किया है संख्या एस टी एम/वर्क्स/1/2559 दिनांक 21.09.2023, उनसे 01.01.2023 से 31.12.2023 तक अपनी इच्छा बताने का अनुरोध किया गया। पट्टेदार, श्री.टी.लोगनाथन ने अपने पत्र दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से प्रचलित धारा और सरकार के नियम और शर्तें जीएलआरएस संख्या 86-बी में 1152 वर्ग फुट के पट्टे को 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए बढ़ाने और भूमि पट्टा किराए का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है।

बाद में, छावनी बोर्ड ने पत्र क्रमांक एसटीएम/वर्क्स/1/2559 दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से पट्टेदार को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे प्रचलित स्ट्रीट पर लीज किराए के बकाया के लिए 1,10,136/- रुपये की राशि भेजने के लिए कहा गया है। जी एल आर एस संख्या 86-बी में 1152 वर्गफुट भूमि के संबंध में 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिए दर। पट्टेदार ने सीबी रसीद संख्या 2997 दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से 60,000/- रुपये और सीबी रसीद संख्या 3638 दिनांक 21.11.2023 के माध्यम से 50,136/- रुपये (कुल 1,10,136/- रुपये) का भुगतान किया है। पट्टेदार के बाद से, श्रीमान. टी लोगनाथन ने प्रचलित एसटीआर के अनुसार लीज किराए की बकाया राशि का भुगतान किया है, जीएलआरएस संख्या में लीज का विस्तार। 86-बी, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी की 1152 वर्ग फुट की माप को 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिए प्रचलित एसटीआर दर और क्ल सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौते पर अनुमोदित किया जाना है, जैसा कि प्राप्त हुआ है डीजीडीई, पत्र क्रमांक 18/48/एल/डी ई/57, खंड-XIII दिनांक 30.12.2022 को निष्पादित एवं पंजीकृत किया जाना है। संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट मेज पर रखी गई है।

**संकल्प संख्या 10:** विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। बोर्ड ने श्रीमान टी लोगनाथन, के पक्ष में मंदिर के उद्देश्य के लिए जीएलआरएस संख्या 86-बी में 1152 वर्ग फुट के पट्टे के विस्तार के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित समझौते को निष्पादित और पंजीकृत करने का संकल्प लिया है। 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि के लिए, अंतरिम नीति जीओआई, एमओडी पत्र संख्या 11013/2/2016/डी (भूमि) दिनांक 29.12.2022 के संदर्भ में। इसलिए, विषय पट्टा भूमि के लिए अद्यतन जीएलआर अर्क उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा।

एसडी/- (ब्रिगेडियर जी.एस.पंढेर, एस.एम.)  
अध्यक्ष छावनी बोर्ड  
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम

एस/-डी (सी दिनेश कुमार रेड्डी)  
ससदस्य सचिव एवं  
मुख्यकार्यकारी अधिकारी  
छावनी बोर्ड

दिनांक:29.11.2023